

यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महा वद्यालय, डोईवाला द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महा वद्यालय, डोईवाला के माह 09/2013 से 06/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री राजकुमार, ले.प., श्री खुशीराम, व.ले.प., व सुश्री रेखा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 17.07.2017 से 20.07.2017 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-1

1. परिचयात्मक: इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री रामवीर सिंह, व.ले.प., श्री वी.पी. सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 16.09.2013 से 20.09.2013 तक श्री आई.के. जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2010 से 08/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2013 से 06/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: महा वद्यालय देहरादून से लगभग 20 कमी. की दूरी पर सौंग नदी (डोईवाला) के पुल के समीप भानियावाला में स्थित है।
(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(धनराशि रु. लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	शून्य	शून्य	310.48	307.43	3.90	3.75	-	3.19
2015-16	शून्य	शून्य	298.83	287.31	6.56	6.13	-	11.94
2016-17	शून्य	शून्य	474.59	435.58	11.56	9.67	-	40.88

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधक्य (+)	बचत (-)
-----शून्य-----					

- (iii) इकाई को बजट आवंटन द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:
1. उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी, नैनीताल 2- उच्च शिक्षा निदेशक 3-प्राचार्य शु.दु.म. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला 4- प्रवक्ता वर्ग 5- शिक्षणोत्तर अधिकाारी/कर्मचारी वर्ग 6- कार्यालय प्रभारी 7- समूह ग कर्मचारी 8- समूह घ कर्मचारी
- (iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोईवाला को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अधकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोईवाला की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2016 से मार्च 2017 को वस्तुतः जांच हेतु चयनित कया गया।
- (v) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा '18' लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- छात्रों को वापस होने वाली प्रति भूति रा श के (Caution Money) बाद उपलब्ध कोष रू. 4.08 लाख का रखरखाव तथा व्यय अनियम त ढंग से कया जान।

कार्यालय एस.डी.एम. राजकीय स्नातकोत्तर महा वद्यालय डोईवाला (देहरादून) द्वारा कॉशनमनी से संबंधित रखरखाव कये गये खाता सं. 200455 (दि नैनीताल बैंक ल मटेड, डोईवाला शाखा) तथा संगत अभलेखों की लेखापरीक्षा में जांच की गयी। इस संबंध में महा वद्यालय द्वारा जारी वार्षिक ववरणका में तथ्य का उल्लेख पाया गया क 'प्रतिभूति धनरा श वर्ष में केवल दो बार ही लौटाई जा सकेगी। जिसके लये आवेदन- पत्र माह नवम्बर तथा अप्रैल में जमा होंगे तथा भुगतान अगले माह कया जायेगा। यह सु वधा महा वद्यालय छोडने के 01 वर्ष तक ही रहेगी।'

उक्त ववरणका में दी गयी अवध के परिपेक्ष्य में महा वद्यालय में संचालित पंचवर्षीय कोर्स को दृष्टिगत रखते हुये नमूना स्वरूप लेखापरीक्षा तिथ से 05 वर्ष पूर्व के (2012-13 तक) अवध के दौरान कोष में उपलब्ध धनरा श जिसका वापस होने की संभावना क्षीण पायी गयी, रखरखाव तथा व्यय का लेखापरीक्षण कया गया। जिसमें से अन्य प्रयोजन के लये दिनांक 17.03.2010, 06.01.2012, 02.05.2012, 12.08.2013 तथा 12.08.2014 को समय-समय पर धन का आहरण कया गया (रू. 1,42.126/-) जिसमें से मात्र रू. 37987/- का समायोजना पाया गया। उपलब्ध अभलेखों की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया क वगत 05 वर्षों में अब तक छात्रों को कोई प्रतिभूति रा श वापस नहीं की गयी। आगे जांच में पाया गया क कॉशन मनी के वापसी के संबंध में छात्रों को अवसर प्रदान करने के लये महा वद्यालय द्वारा समसामयिक अधसूचना जारी नहीं की जा रही थी। रख रखाव के संबंध में वभागीय दिशानिर्देशन का अभाव पाया गया। महा वद्यालय के 05 वर्षों की कॉशन मनी की स्थिति अनुलग्नक में दर्ज है।

इस ओर इंगत कये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया क प्रतिभूति निध के रखरखाव व व्यय हेतु महा वद्यालय के पास कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं होने के कारण इसमें महा वद्यालय द्वारा व्यय नहीं कया गया है। केवल बहुत और अपरिहार्य कारणों से व्यय कया गया है। कॉशन मनी के संबंध में सूचना प्रवेश ववरणका की पृ. सं. 15 नियम 05 में स्पष्ट रूप से दी गयी है। इस संबंध में छात्र छात्राओं द्वारा प्रतिभूति रा श को लौटाने हेतु कोई प्रकरण प्राचार्य के सम्मुख नहीं आया इस लए इस कारण इस प्रकार की कोई अतिरिक्त सूचना छात्र छात्राओं को अलग से नहीं दी गई।

इकाई का उत्तर तर्क संगत नहीं पाया गया क्यों क वापस न होने वाली प्रतिभूति रा श के 05 वर्ष पूर्व के उपलब्ध कोष के रख रखाव तथा व्यय नियम-संगत करने के लये वभाग से दिशा

निर्देशन प्राप्त करने में उदासीनता दिखाई गयी। जब वर्ष दर वर्ष छात्रों द्वारा प्रतिभूति वापस करने का एक भी आवेदन पत्र महा वद्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया तो महा वद्यालय का कर्तव्य था क छात्रों को समसामयिक अवगत कराने के लये सूचना प्रकाशत करें। परंतु कोष को सृजित रखकर मनमाने ढंग से व्यय करने के लये प्रकरण इरादतन पाया गया।

अतः प्रकरण उच्चा धकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

Annexure**Details of Caution Money**

Year	No. of students caution money taken	Rate	Total amount collected as per records	Refund Amount	Balance
2012-13	872	100	91100	-	91100
2013-14	2226	100	226600	-	226600
2014-15	1742	100	174600	-	174600
2015-16	704	100	70400	-	70400
2016-17	1276	100	127600	-	127600

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
-----शून्य-----		

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
-----शून्य-----				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-----शून्य-----

भाग-Vआभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोईवाला तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न लिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:
 - (i) निर्मित भवन के अभिलेख
2. सतत अनियमितताएं:
 - (i) शून्य
3. लेखापरीक्षा अवध में निम्न लिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम	अवध
(i)	श्री हर्सवन्ती वष्ट	प्राचार्या	05.06.17 तक
(ii)	श्री एम.सी. नैनवाल	प्राचार्या	06.06.17 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोईवाला को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र